



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2052]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2019/आषाढ़ 10, 1941

No. 2052]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2019/ASHADHA 10, 1941

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2019

परिसरों के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग तथा दुकान एवं आवास प्लॉटों/परिसरों, जिन्हें बाद में स्थानीय बाजारों के रूप में निर्दिष्ट किया गया, के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों का निर्धारण।

का.आ. 2270(अ).—परिसरों के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग तथा दुकान एवं आवास प्लॉटों/परिसरों, जिन्हें बाद में स्थानीय बाजारों के रूप में निर्दिष्ट किया गया, के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों के निर्धारण हेतु लागू की जाने वाली दरों को का.आ. 3173 (अ) दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था। भाग 'क' के पैरा 5.3 और भाग 'ख' के पैरा 4 के अंतर्गत यथा उल्लिखित इन प्रभारों की अनुप्रयोज्यता की अवधि को का.आ. 372(अ) दिनांक 23.01.2019 के साथ पठित का.आ. 358(अ) दिनांक 21.01.2019 द्वारा छह महीने की अवधि अर्थात् 28.06.2019 तक बढ़ा दिया गया था। अब, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास अधिनियम, 1957(1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 3173(अ) दिनांक 29 जून, 2018 के भाग 'क' के पैरा 5.3 और भाग 'ख' के पैरा 4 में यथा उल्लिखित प्रभारों की अनुप्रयोज्यता की अवधि को आगे एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 28.06.2020 तक बढ़ाता है।

[फा. सं. एफ.2(14)2017-18/ए.ओ.(पी)/डी.डी.ए.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2019

Fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs.

S.O. 2270(E).—The rates to be applied for fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs were notified vide S.O.3173 (E) dated 29th June, 2018. The period for applicability of these charges as mentioned under Para 5.3 of Part A and Para 4 of Part B, was extended for a period of six months i.e. upto 28.06.2019 vide S.O.358(E) dated 21.01.2019 read with S.O.372(E) dated 23.01.2019.

Now, in exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby further extends the period for applicability of the charges as mentioned under Para 5.3 of Part A and Para 4 of Part B of the Notification No. S.O.3173 (E) dated 29nd June, 2018 for a further period of one year i.e. upto 28.06.2020.

[F. No. F2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2019

दिल्ली मुख्य योजना – 2021 में निर्दिष्ट आवासीय संपत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग/ कमर्शियल स्ट्रीट्स और व्यावसायिक संपत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए बढ़े हुए तल क्षेत्रफल अनुपात(एफ.ए.आर.) हेतु लागू होने वाली दरों का निर्धारण।

का. आ. 2271(अ).—दिल्ली मुख्य योजना 2021 में निर्दिष्ट आवासीय संपत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग/ कमर्शियल स्ट्रीट्स और व्यावसायिक संपत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए बढ़े हुए तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) हेतु लागू होने वाली दरों को का.आ. 3172(अ) दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था। तालिका के कॉलम 4 के अंतर्गत दी गई दरें छः माह की अवधि अर्थात् 28.12.2018 तक मान्य थीं और इसके बाद कॉलम 5 में दर्शायी गई दरों को लागू किया जाना था। कॉलम 4 के अंतर्गत उल्लिखित प्रभारों की अनुप्रयोज्यता की अवधि को छः माह की अवधि अर्थात् 28.06.2019 तक के लिए का.आ. 373(अ) दिनांक 23.01.2019 के साथ पठित का.आ. 359(अ) दिनांक 21.01.2019 द्वारा बढ़ा दिया गया था।

अब, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा कॉलम 4 के अंतर्गत उल्लिखित प्रभारों की अनुप्रयोज्यता की अवधि को इसके आगे एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 28.06.2020 तक बढ़ाता है। इसके बाद अधिसूचना सं. का.आ.3172 (अ) दिनांक 29 जून, 2018 के अनुसार तालिका के कॉलम 5 में दर्शायी गई दरें लागू होंगी।

[फा. सं. एफ.2(14)2017-18/ए.ओ.(पी)/डी.डी.ए.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2019

Fixation of rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, Mixed Use/ Commercial streets and commercial properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021

S.O. 2271(E).—The rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, mixed use/Commercial Streets and Commercial Properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021 were notified vide S.O.3172 (E) dated 29th June, 2018. The rates under column 4 of the table were valid for a window period of six months, i.e. upto 28.12.2018 and thereafter the rates as shown under column 5 were to apply. The period for applicability of the charges mentioned under Column 4 was extended for a period of six months i.e. upto 28.06.2019 vide S.O. 359(E) dated 21.01.2019 read with S.O.373(E) dated 23.01.2019.

Now in exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, hereby further extends the period for applicability of the charges mentioned under column 4 for a further period of one year i.e. upto 28.06.2020. Thereafter the rates shown under Column 5 of the table as per Notification No. S.O.3172 (E) dated 29th June, 2018 shall be applicable.

[F. No. F2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.